

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में, वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में नामति 116 नए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की गुणवत्ता पर चर्चाएँ व्यक्त की गई हैं।

■ वरिष्ठ अधिवक्ता:

- **पदनाम:** यह उपाधिकानूनी वचिकषणता, बार में प्रतषिठा, तथा कम से कम **10 वर्षों के अनुभव** के बाद वशिष ज्ञान के आधार पर **सर्वोच्च न्यायालय** या **उच्च न्यायालय** द्वारा प्रदान की जाती है।
- **भूमिका:** वे **कानूनी प्रस्तावों पर बहस** करते हैं, लेकिन मुक्कलियों से **सीधे नरिदेश** नहीं ले सकते हैं और उन्हें **एडवोकेट-ऑन-रकिॉर्ड (AoR)** द्वारा जानकारी दी जाती है।
 - वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनी व्यक्ता होते हैं, जो **मुत्तयु दंड**, **कंपनी परसिमापन**, **बाल हरिसत** और **जमानत आवेदन** जैसे उच्च जोखमि वाले मामलों को संभालते हैं।
- **प्रतर्बिध:** वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे तौर पर मुक्कलियों को नहीं ले सकते हैं या कुछ कानूनी कार्यों में संलग्न नहीं हो सकते हैं, जैसे **कियाचकिकाओं का प्रस्ताव तैयार करना**, **हलफनामा तैयार करना** या साक्ष्य पर सलाह देना।
- **वर्ष 2017 सुधार:** **बॉम्बे उच्च न्यायालय की पहली महिला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदरिा जयसहि की जनहति याचकिका** के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामति करने के लिये वस्तुनषिठ मानदंड स्थापति कयि।
 - इन मानदंडों में **नरिणय**, **शैकषणकि योगदान** और **अनुभव** शामिल हैं, जसिका उद्देश्य प्रकरयिा को अधिक **पारदर्शी** और **समावेशी** बनाना है।

- **एडवोकेट-ऑन-रकिॉर्ड:** वे **दस्तावेज़ दाखलि करने**, पक्षों का प्रतनिधितिव करने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थतिर्ज कराने के लिये अधिकृत एकमात्र अधिवक्ता हैं।
- **अन्य अधिवक्ता:** ये अधिवक्ता **राज्य बार काउंसलि की सूची** में सूचीबद्ध हैं और **सर्वोच्च न्यायालय** में मामलों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज़ दाखलि नहीं कर सकते (**औपचारकि फाइलिंग** में शामिल नहीं)।

और पढ़ें: [BCI ने वदिशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी](#)